

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 112/18

तारीख दायर 25/2

श्रीमंत कुंभार पिता कल्याणलाल जागी शर्मा नि मलीगी

.....प्रार्थी

1. प्रमोद पिता कल्याण जागी श्रीमंत कुंभार नि मलीगी हा 5 दिनांक
2. लक्ष्मी पिता उडा जागी श्रीमंत नि मलीगी हा दिनांक
3. भागीरथ 4-जमान पिता शर्मा नि मलीगी हा दिनांक
5. शशी 18 पिता कुंभारलाल जागी नि मलीगी हा दिनांक

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 30-1-2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मलीगी पटवार हल्का 5/1 तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 8 पर अंकित आराजी संख्या 202 7/1 रकबा 799 800 800 बीघा भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की वहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी न जवाब उठा रहा।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2013 व 2014 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने वावत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक गिरीश को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। किफ्त 1000/- 15/18

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मलीगी पटवार हल्का 5/1 तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 6 व 8 पर अंकित आराजी संख्या 202 799 800 रकबा 9 बीघा भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी